भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1995

जिसका उत्तर 11.12.2025 को दिया जाना है

बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए पृथक कोष

1995.श्रीमती मंजू शर्मा:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों के पुनर्निर्माण और मरम्मत के लिए एक पृथक कोष स्थापित करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ग) सरकार ने मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के अनुरक्षण को प्राथमिकता दी है और अन्य बातों के साथ-साथ बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हुए राष्ट्रीय राजमार्गों के पुनर्निर्माण और मरम्मत सहित सभी राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों के अनुरक्षण और मरम्मत (एमएंडआर) कार्य को उत्तरदायी अनुरक्षण एजेंसी के माध्यम से सुनिश्चित कराने के लिए एक कार्यतंत्र विकसित किया है। सरकार ने पहले ही राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए अलग से निधि का प्रावधान किया है, जिसमें बाढ़ के कारण हुए नुकसान की मरम्मत/तत्काल यातायात बहाली शामिल है।

भारी वर्षा/अचानक बाढ़/भूस्खलन आदि से क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय राजमार्गों पर सभी आपातकालीन मरम्मत कार्य यातायात को शीघ्र बहाल करने के लिए तुरंत प्रारंभ किए जाते हैं। क्षति के कारणों का आकलन करने के बाद विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार स्थायी मरम्मत कार्य प्रारंभ किया जाता है।

*****